

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 01-10-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र-0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹19,15,37,700/- (उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख सैतीस हजार सात सौ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-14(7)ब दिनांक-12.06.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹19,15,37,700/- (उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख सैतीस हजार सात सौ रु.)मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र-0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को नियमित व्यय हेतु उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।
6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
9. स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।


सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. औरंगाबाद जिला को आवंटित राशि में से सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-8490/2009 से उत्पन्न एम०जे०सी० संख्या-1367/2018 भुपेन्द्र नाथ सहाय बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में दी जा रही है ।

12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापांक : 41(7)0

पटना, दिनांक : 01-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा भत्ता (11-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना	13000000	1950000	1820000	780000	17550000	0	20000	17570000	6056/24.8.18
2	भोजपुर (आरा)	610000	91500	85400	37100	824000	0	0	824000	3114/7.8.18
3	नवादा	4800000	720000	672000	288000	6480000	0	0	6480000	2239/13.8.18
4	वैशाली	2500000	375000	350000	150000	3375000	0	0	3375000	1668/8.9.18
5	मुजफ्फरपुर	10000000	1500000	1400000	600000	13500000	0	20000	13520000	2789/28.8.18
6	सीतामढ़ी	6000000	900000	840000	360000	8100000	0	20000	8120000	2404/28.8.18
7	सिवान	8000000	1200000	1120000	480000	10800000	0	0	10800000	18/4.9.18
8	गोपालगंज	8000000	1200000	1120000	480000	10800000	0	20000	10820000	1758/7.8.18
9	भागलपुर	2400000	360000	336000	144000	3240000	0	0	3240000	3397/6.9.18
10	बाँका	1600000	240000	224000	96000	2160000	0	0	2160000	1792/24.8.18
11	मधुबनी	15000000	2250000	2100000	900000	20250000	0	20000	20270000	1879/26.7.18
12	कटिहार	4600000	690000	644000	276000	6210000	0	20000	6230000	2177/19.9.18
13	मुंगेर	5400000	810000	756000	366000	7332000	0	5000	7382000	1875/17.9.18
14	अररिया	1400000	280000	196000	84000	1960000	0	12000	2080000	2264/17.9.18
15	गया	11000000	1650000	1540000	660000	14850000	0	0	14850000	2511/25.8.18
16	दरभंगा	8000000	1200000	1120000	480000	10800000	0	0	10800000	1783/19.9.18
17	औरंगाबाद	7800000	1170000	1092000	468000	10530000	20000	20000	10570000	1800/11.9.18, 1781/10.9.18
18	बक्सर	1100000	165000	154000	66000	1485000	0	0	1485000	
19	कैमूर	1100000	165000	154000	66000	1485000	0	0	1485000	
20	रोहतास	2500000	375000	350000	150000	3375000	0	0	3375000	
21	मालवा	2500000	375000	350000	150000	3375000	0	0	3375000	
22	जहानाबाद	1500000	225000	210000	90000	2025000	0	0	2025000	

41(7)B
01-10-18

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा भत्ता	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	पूर्वी चम्पारण	3000000	450000	420000	180000	4050000	0	0	4050000	
24	पश्चिमी चम्पारण	3000000	450000	420000	180000	4050000	0	0	4050000	
25	शिवहर	1500000	225000	210000	90000	2025000	0	0	2025000	
26	सारण	3000000	450000	420000	180000	4050000	0	0	4050000	
27	समस्तीपुर	3000000	450000	420000	180000	4050000	0	0	4050000	
28	पूर्णा	2000000	300000	280000	120000	2700000	0	0	2700000	
29	लखीसराय	800000	120000	112000	48000	1080000	0	0	1080000	
30	शेखपुरा	800000	120000	112000	48000	1080000	0	0	1080000	
31	बेगूसराय	850000	127500	119000	51000	1147500	0	0	1147500	
32	जमुई	850000	127500	119000	51000	1147500	0	0	1147500	
33	खगड़िया	850000	127500	119000	51000	1147500	0	0	1147500	
34	सहरसा	2000000	300000	280000	120000	2700000	0	0	2700000	
35	मधेपुरा	3000000	450000	420000	180000	4050000	0	0	4050000	
36	सुपौल	2000000	300000	280000	120000	2700000	0	0	2700000	
37	अरवल	1200000	180000	168000	72000	1620000	0	0	1620000	
38	किशनगंज	1200000	180000	168000	72000	1620000	0	0	1620000	
	कुल	141740000	21268000	19843600	8509100	191360700	20000	157000	191537700	

५१(७)९
०१-१०-१८

(उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख सैतीस हजार सात सौ) रु० मात्र

सरकार के विशेष सचिव

स्वी



उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003-01-01)	320000000	163800000	141740000	305540000	14460000
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	48000000	24570000	21268000	45838000	2162000
3	मकान किराया भत्ता (0003-01-04)	51200000	22932000	19843600	42775600	8424400
4	चिकित्सा भत्ता (0003-01-06)	28800000	9828000	8509100	18337100	10462900
	योग 20-2210.03.101.0003.01 वेतन	448000000	221130000	191360700	412490700	35509300
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	1900000	0	20000	20000	1880000
6	यात्रा व्यय (0003-11-01)	2800000	1140000	157000	1297000	1503000
7	विधि प्रभार (0003-13-05)	1000	0	0	0	1000
8	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	2500000	0	0	0	2500000
9	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	10700000	0	0	0	10700000
10	अनुरक्षण एवं मरम्मत(0003-27-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	465902000	222270000	191537700	413807700	52094300

01/10/18

सरकार के विशेष सचिव
स्वायं

VI (U)A
01-10-18